<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>24.12.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने 10.12.2024 और 19.12.2024 को मुंबई, नागपुर, गांधीनगर और वडोदरा में 8 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह भावेश अशोकभाई पटेल और अन्य (डिंगुचा केस) के मामले में चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें पीड़ितों/व्यक्तियों को अवैध चैनल के द्वारा कनाडा के माध्यम से यूएसए भेजने के लिए एक सुनियोजित साजिश रचने का आरोप है, जिससे मानव तस्करी का अपराध किया जा सके। तलाशी अभियान के दौरान 19 लाख रुपये (लगभग) के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। इसके अलावा, 02 वाहन भी जब्त किए गए।

ईडी ने गुजरात के अहमदाबाद शहर की अपराध शाखा के डीसीबी द्वारा भावेश अशोकभाई पटेल और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जब गुजरात के डिंगुचा गांव के 04 भारतीय नागरिकों का परिवार 19.01.2022 को कनाडा-यूएस सीमा पर मृत पाया गया था। सभी आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ साजिश रचते हुए निर्दोष भारतीय नागरिकों को कनाडा के रास्ते अवैध रूप से यूएसए में प्रवेश कराने के लिए प्रति व्यक्ति 55 से 60 लाख रुपये की भारी रकम वसूल कर लालच दिया।

ईडी की जांच में पता चला कि भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से यूएसए भेजने के लिए आरोपियों ने कनाडा स्थित कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों के प्रवेश की व्यवस्था की और इस तरह कनाडा के लिए छात्र वीजा के लिए आवेदन किया। एक बार व्यक्ति/छात्र कनाडा पहुंचने के बाद, कॉलेज में शामिल होने के बजाय, वे अवैध रूप से यूएस-कनाडा सीमा पार कर गए। यह पाया गया है कि मुंबई और नागपुर स्थित 02 संस्थाओं ने कमीशन के आधार पर विदेशी देशों में स्थित विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए एक संस्था के साथ समझौता किया है, जिससे एक इच्छुक छात्र ने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवास करने के लिए संपर्क किया था।

तलाशी के दौरान यह पता चला है कि एक संस्था द्वारा लगभग 25,000 छात्रों और दूसरी संस्था द्वारा 10,000 से अधिक छात्रों को हर साल भारत के बाहर स्थित विभिन्न कॉलेजों में भेजा जा रहा है। इसके अलावा, यह भी पता चला है कि गुजरात में स्थित लगभग 1700 एजेंट/भागीदार और पूरे भारत में अन्य संस्थाओं के लगभग 3500 एजेंट/भागीदार हैं और जिनमें से लगभग 800 सक्रिय हैं। यह भी पता चला है कि कनाडा स्थित लगभग 112 कॉलेजों ने एक संस्था के साथ और 150 से अधिक ने दूसरी संस्था के साथ समझौता किया है। इस मामले में उनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है।